पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.04.2021

दिनांक 20/21.04.2021 को रात्रि थाना बंथरा 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 मध्य

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

थाना बंथरा:–दिनांक 20–04–2021 को एस0आई0 श्री शैलेन्द्र सिंह सेंगर थाना बंथरा द्वारा अभियुक्त 01–अली अहमद पुत्र शफी अहमद निवासी कस्बा बंथरा थाना बंथरा लखनऊ 2–जीतू साहू उर्फ जितेन्द्र पुत्र अनिल साहू निवासी ग्राम रामचौरा थाना बंथरा लखनऊ को ग्राम रामचौरा बंथरा नगवा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद बोरी मे 25 अदद टैट्रा पैक (200 एमएल) व 12 अदद क्वार्टर मैकडविल बरामद कर थाना बंथरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी:–दिनांक 20–04–2021 को हे0का0 जयबर्धन थाना सुशांत गोल्फ सिटी द्वारा अभियुक्त 01–मनीराम पुत्र कन्धई निवासी कटरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ को ग्राम कटरा बक्कास, सुशान्त गोल्फ सिटी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना सुशांत गोल्फ सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना बंथरा:–दिनांक 21–04–2021 कों थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री रामशरन पुत्र श्री राम किशोर निवासी ग्राम किशुनपुर कौडिया थाना बंथरा लखनऊ ने थाना बंथरा पर सूचना दिया कि दिनांक 20–04–2021 को समय करीब 01.00 बजे दिन में वादी ने अपने चेक के माध्यम से 90 हजार रू0 निकालकर ओरियन्टल आफ कामर्स शाखा बंथरा बैक से बाहर निकला तो एक अज्ञात व्यक्ति आया और रूपया जमा करने की बात कहने लगा और वादी के साथ आगे बढा तब तक दो व्यक्ति हो गये। जो मास्क लगाये हुये थे और अपनी इमरजेंसी बताकर रूपया जमा करने के लिए कहने लगे जब कि उन अज्ञात व्यक्तियों के पास जिसको रूपया भेजना था उसका खाता नं0 नही है यह बताकर वादी के हाथ मे रूमाल मे बधे पांच लाख रूपये होना बताकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को दे दिये गये, तथा तुरन्त वादी से 90 हजार रू0 इमरजेंसी बताकर ग्राम नीवा में पैसे देने के बहाने लिए, वादी इस बात का विश्वास किया कि पांच लाख रू0 उसके पास रखे है और वादी ने अपने 90 हजार रूपये अज्ञात दोनो व्यक्तियो को दे दिया और वे लोग वादी के सामने टैम्पू पर बैठकर चले गये काफी देर न आने पर वादी ने रूमाल खोला तो रूमाल में कागज के मुडे हुये रूपये के आकार मे सादे कागज मिले वादी को विश्वास हुआ कि उसके साथ टप्पेबाजी कर ली गई है। इस सूचना पर थाना बंथरा पर मु0अ0सं0 129/2021 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राजेश कुमार 9454560785 द्वारा की जा रही है।**